G — स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विधिक सहायता

DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)

यह संस्थान क्या है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (एलएसए), 1987 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय विधिक सहायता प्रणाली का जिला-स्तरीय अंग है। इसका मूल कार्य उन नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करना है जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते — विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों, मानव-तस्करी अथवा बंधुआ मज़दूरी ("बेगार") के पीड़ितों, सामूहिक आपदाओं अथवा जातीय/नस्लीय हिंसा का सामना कर रहे व्यक्तियों, औद्योगिक श्रमिकों, हिरासत में मौजूद व्यक्तियों, तथा राज्य-निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले हर व्यक्ति को (एलएसए, धारा 12)। DLSA पूर्व-वाद और लंबित मामलों को सुलह के माध्यम से हल करने के लिए लोक अदालतें (जन-अदालतें) आयोजित करता है, विधिक जागरूकता शिविर चलाता है, पात्र आवेदकों को विधिक सहायता वकील प्रदान करता है, और उप-इकाइयों के रूप में ग्राम / तालुका विधिक सेवा समितियों का संचालन करता है। एक युवा व्यक्ति के लिए, DLSA विधि प्रणाली में सबसे किफायती प्रवेश-बिंदु है — फिर भी जिले के सबसे कम जाने-समझे जाने वाले संस्थानों में से एक बना हुआ है।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप, परिवार का कोई सदस्य, अथवा कोई मित्र किसी विधिक मुद्दे का सामना कर रहा है — दहेज अथवा घरेलू हिंसा की शिकायत, मजदूरी विवाद, उपभोक्ता शिकायत, ज़मीन विवाद, उत्पीड़न, गिरफ्तारी, अथवा कोई लंबित दीवानी मामला — और वकील का खर्च नहीं उठा सकता, तो DLSA वह संस्थान है जो निःशुल्क वकील प्रदान करेगा। लोक अदालतें विवादों को एक ही सुनवाई में, बिना अपील के निपटा सकती हैं, जो अक्सर नियमित अदालतों की तुलना में तेज़ और सस्ता होता है।

शासन

कानून / नीति	दायरा
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (एलएसए), 1987	NALSA, SLSA, DLSA, और लोक अदालतों की स्थापना करने वाला आधारभूत कानून
NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) विनियम	पात्रता मानदंड, विधिक सहायता वकील की सूचीबद्धता, गुणवत्ता मानक
NALSA (मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना	पुनर्वासन, विधिक सहायता, और मुआवज़ा
BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) धारा 396 (पूर्व में सीआरपीसी §357A) के अंतर्गत पीड़ित मुआवज़ा योजनाएँ	अपराध-पीड़ितों के लिए DLSA मुआवज़ा राशि की सिफारिश करता है
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे), 2015	DLSA के माध्यम से कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों का विधिक प्रतिनिधित्व

- **केंद्र:** NALSA (नई दिल्ली)। संरक्षक-प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित एक सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश होते हैं (एलएसए §3(2))
- **राज्य:** SLSA (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)। संरक्षक-प्रमुख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामित एक सेवारत अथवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश होते हैं
- **जिला:** DLSA की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष के रूप में करते हैं; सचिव एक न्यायिक अधिकारी होते हैं जिनका रैंक सिविल जज / अधीनस्थ जज से कम न हो, और जो जिला न्यायपालिका की पीठ पर पदस्थ हों
- **तालुका / ब्लॉक:** तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षता तालुक के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी (पदेन अध्यक्ष, अधिनियम 37 of 2002 के अनुसार) करते हैं
- **गाँव:** ग्राम विधिक देखभाल एवं सहायता केंद्र / पैरा-लीगल वॉलंटियर (PLV) नेटवर्क
- **वित्तपोषण:** केंद्र सरकार से NALSA को और राज्य सरकारों से SLSA को वैधानिक अनुदान; जिला वित्तपोषण SLSA के माध्यम से प्रवाहित होता है

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश)	नीति और देखरेख
सचिव, DLSA	दिन-प्रतिदिन के संचालन का नेतृत्व करने वाले पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारी
पैनल वकील	पात्र ग्राहकों को विधिक सहायता प्रदान करने वाले सूचीबद्ध अधिवक्ता
पैरा-लीगल वॉलंटियर (PLV)	समुदाय-स्तरीय स्वयंसेवक जिन्हें बुनियादी कानून का प्रशिक्षण दिया गया है; आउटरीच के लिए प्रथम प्रतिक्रियादाता
फ्रंट ऑफिस / सहायता डेस्क	आवेदन प्राप्त करता है और तत्काल रेफरल प्रदान करता है
प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर रिटेनर वकील	गिरफ्तारी के सबसे पहले चरण पर विधिक सहायता प्रदान करने हेतु NALSA योजना

अनिवार्य सेवाएँ

- सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों तक — सभी न्यायालयों में पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता
- पुलिस-स्टेशन-स्तरीय रिटेनर वकील योजना के माध्यम से आपराधिक मामलों में सबसे पहले चरण पर विधिक प्रतिनिधित्व
- **विधिक सहायता बचाव वकील प्रणाली (LADCS):** एक NALSA केंद्रीय क्षेत्रक योजना (वित्त वर्ष 2023-24 से) जो समर्पित आपराधिक-मामला विधिक सहायता प्रदान करती है; 2025 के अंत तक 680 से अधिक जिलों में संचालन में। LADC कार्यालय DLSA परिसर में स्थित होता है। DLSA, SLSA के मार्गदर्शन में, एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से वकीलों का चयन करता है; नियुक्तियाँ 2-वर्षीय अनुबंध पर होती हैं और संतोषजनक प्रदर्शन पर वार्षिक विस्तार दिया जाता है। SLSA DLSA के परामर्श से प्रत्येक वकील के प्रदर्शन की हर छह महीने में समीक्षा करता है
- पूर्व-वाद लोक अदालतें और नियमित लोक अदालतें — कंपाउंडेबल दीवानी एवं आपराधिक मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावे, और उपयोगिता विवादों को सुलह के माध्यम से सुलझाती हैं; लोक अदालत का निर्णय अंतिम और अप्रतिवेद्य (non-appealable) है
- गाँवों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर — विशेष रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवी), 2005, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012, विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 — जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लिया — सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005, बाल विवाह, श्रम कानून, और नागरिकता अधिकारों के तहत अधिकारों पर
- पीड़ित मुआवज़ा योजनाएँ — DLSA बीएनएसएस की धारा 396 के अंतर्गत सिफारिशें संसाधित करता है
- विधि महाविद्यालयों में विधिक सहायता क्लीनिक — परामर्शदाता मॉडल में विद्यार्थी भागीदारी
- विचाराधीन कैदियों के लिए जेल यात्राएँ और प्रतिनिधित्व; पैरोल और जमानत सहायता
- पीडब्ल्यूडीवी और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए महिलाओं हेतु विधिक सहायता

संबद्ध योजनाएँ

- **NALSA (यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को विधिक सेवाएँ) योजना** — मुआवज़ा और पुनर्वासन
- **NALSA (बाल-अनुकूल विधिक सेवाएँ) योजना** — बच्चों के लिए प्रतिनिधित्व
- **पीड़ित मुआवज़ा योजना (राज्य-विशेष)** — DLSA अपराध-पीड़ितों के लिए जिलाधिकारी को मुआवज़े की सिफारिश करता है
- **स्थायी लोक अदालत** एलएसए की धारा 22B के अंतर्गत — सार्वजनिक-उपयोगिता सेवाओं के लिए

कैसे ढूँढें

पोर्टल: nalsa.gov.in (राष्ट्रीय स्तर) और राज्य-विशेष SLSA पोर्टल (जैसे upslsa.up.nic.in, doj.gov.in विधिक सहायता खोज, tnslsa.tn.gov.in)

इसके अतिरिक्त: जिला न्यायालय परिसर में स्थित; बार एसोसिएशन अथवा सत्र न्यायालय के फ्रंट ऑफिस से पूछें। प्रत्येक DLSA एक 24×7 हेल्पलाइन रखता है, अक्सर वही जो राज्य NALSA हेल्पलाइन है। आवेदन NALSA के लिए ई-विधिक सेवा प्राधिकरण (e-LSA) पोर्टल पर भी दायर किए जा सकते हैं।

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील DLSA में होना चाहिए: जिला न्यायालय परिसर के अंदर अथवा निकट एक स्पष्ट दृश्य सार्वजनिक सहायता डेस्क / फ्रंट ऑफिस, संपर्क विवरण के साथ सूचीबद्ध पैनल वकीलों की सूची, एक निर्धारित लोक अदालत कैलेंडर, एक समर्पित विधिक सहायता बचाव वकील (LADC) कार्यालय (2025 के अंत तक 680 से अधिक जिलों में संचालन में), प्रत्येक ब्लॉक के लिए संपर्क विवरण के साथ पैरा-लीगल वॉलंटियर रोस्टर, एक शिकायत पंजी, और प्रति माह कम-से-कम एक जेल-यात्रा अनुसूची।

एक क्रियाशील DLSA कैसा दिखता है

- सहायता डेस्क न्यायालय कार्य घंटों के दौरान संचालित होता है; प्रति कार्य दिवस कम-से-कम एक पैनल वकील नियुक्त होता है
- विधिक सहायता आवेदनों की 24 घंटों के भीतर पावती दी जाती है और 7 दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है
- लोक अदालतें कम-से-कम मासिक रूप से आयोजित होती हैं, स्पष्ट दृश्य अनुसूची और मामला-निपटान संख्या के साथ
- पैरा-लीगल वॉलंटियरों ने पिछले तिमाही में प्रत्येक ब्लॉक में जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं
- पिछले वर्ष संसाधित पीड़ित-मुआवज़ा सिफारिशें DM के वितरण-स्थिति के साथ ट्रैक की जाती हैं
- निकटवर्ती विधि महाविद्यालयों में विधिक सहायता क्लीनिक सक्रिय हैं
- पुलिस स्टेशनों पर रिटेनर वकील योजना संचालन में है (जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन में पूछकर सत्यापित किया जा सकता है)

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। विधिक-सहायता से इनकार, पैनल वकील के निष्क्रिय प्रदर्शन, अथवा लोक अदालत के आचरण से जुड़ी शिकायतें DLSA सचिव को लिखित रूप में दी जाती हैं।

सेवा के बाद। आगे बढ़ाने की कार्रवाई सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के पास होती है। SLSA के पास हर DLSA पर निगरानी की शक्तियाँ हैं।

बाह्य। NALSA nalsa.gov.in पर शिकायतें स्वीकार करता है। CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) pgportal.gov.in पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के विरुद्ध शिकायतें संभालती है। राज्य की बार काउंसिल सूचीबद्ध वकीलों के विरुद्ध दुराचार शिकायतें संभालती है। अलग से, जिला न्यायाधीश (पदेन DLSA अध्यक्ष) के पास प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है।